



**Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University**
Lucknow



**डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय**
लखनऊ

STUDENT CONDUCT

&

DISCIPLINE RULES, 2024

छात्र आचरण

एवं

अनुशासन नियमावली, 2024

Applicable from Academic Session
2024 – 2025 & Onwards

शैक्षणिक सत्र 2024 - 2025

और उसके बाद से लागू

Pawan Mishra

Vinendra Pal

Disclaimer: This document is the sole property of Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow and any unauthorized reproduction, sale, distribution or use without prior permission of the Proctor, University shall be actionable as per the rights guaranteed under the laws of India for the time being in force.

अस्वीकरण: यह दस्तावेज़ डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की एकमात्र संपत्ति है और प्रॉक्टर, विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अनधिकृत प्रजनन, बिक्री, वितरण या उपयोग भारत के कानूनों के तहत गारंटीकृत अधिकारों के अनुसार कार्रवाई योग्य होगा।

Preamble

Whereas, Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow (hereinafter referred as "University") has been established by the Government of Uttar Pradesh vide UP Act No. 09 of 2009 to achieve objectives as outlined in **Clause 4** of Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University Act. 2009 (hereinafter referred as Act)

And whereas, the University has been empowered in **Clause 4** of the Act to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the university enlisted in **Clause 4(a)** to **Clause 4(f)** of the Act;

And whereas, the University has been empowered under **Clause 5(xi)** of the Act to supervise and control the residence, and to regulate the discipline of the students of the university and to make arrangements for promoting their health;

And whereas, the University has been empowered under **Clause 5(xxxiii)** of the Act to do all such other Ordinances and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargements of all or any of the objectives of the university.

And whereas, the University has been empowered under **Clause 5(ix)** to fix, demand and receive fees and other charges.

And whereas, it has been prescribed under **UGC Guidelines on Safety of Students on and off Campuses of Higher Educational Institutions** that all universities shall prepare an exhaustive code of conduct for students enrolled in departments or affiliated colleges;

In lieu thereof, the University hereby provides for and establishes rules to supervise regulate and enforce discipline and standards of conduct together with punishments and penalties for adherence by and among its students including research scholars through and under these rules.

उद्देशिका

जबकि, डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (इसके बाद "विश्वविद्यालय" के रूप में संदर्भित) की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2009 के यूपी अधिनियम संख्या 09 के तहत डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के **खंड 4** में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई है।

और जबकि, विश्वविद्यालय को अधिनियम के खंड 4 में ऐसी सभी चीजें करने का अधिकार दिया गया है जो अधिनियम के **खंड 4 (ए)** से **खंड 4 (एफ)** में सूचीबद्ध विश्वविद्यालय के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक, आवश्यक या अनुकूल हैं;

और जबकि, विश्वविद्यालय को अधिनियम के **खंड 5 (xi)** के तहत निवास की निगरानी और नियंत्रण करने और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करने और उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है;

और जबकि, विश्वविद्यालय को अधिनियम के **खंड 5 (xxxiii)** के तहत ऐसे सभी अन्य अध्यादेशों और चीजों को करने का अधिकार दिया गया है जिन्हें विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, अनुकूल या प्रासंगिक समझे।

और जबकि, विश्वविद्यालय को **खंड 5 (ix)** के तहत फीस और अन्य शुल्क तय करने, मांग करने और प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

और जबकि, उच्च शिक्षा संस्थाओं के परिसरों के अंदर और बाहर छात्रों की सुरक्षा पर यूजीसी दिशानिर्देशों के तहत यह निर्धारित किया गया है कि सभी विश्वविद्यालय विभागों या संबद्ध कॉलेजों में नामांकित छात्रों के लिए एक व्यापक आचार संहिता तैयार करेंगे;

इसके बदले में, विश्वविद्यालय एतद्वारा इन नियमों के माध्यम से और इनके तहत अनुसंधान विद्वांओं सहित अपने छात्रों द्वारा और उनके बीच अनुपालन के लिए दंड और दंड के साथ-साथ अनुशासन और आचरण के मानकों के पर्यवेक्षण, विनियमन और लागू करने के लिए नियमों का प्रावधान करता है और स्थापित करता है।

Amul
Lus
Pavon
Virendra
Pradeep
Tresh
Agam
Sush
Shresh
Ramesh

1. Short title and Commencement

- These Rules shall be called "The DSMNRU Students Discipline and Conduct Rules 2024", here after referred to as the "Rules".
- Words and expressions used, but not defined, in these Rules shall have the meaning assigned to them in the Act, Statutes and the Ordinances.
- These Rules shall come into force with effect from the date of notification.

2. Scope of Student Conduct & Discipline Rules, 2024

The student discipline system in the University is envisaged for an educational system and is not representative of court of law. Evidence/ Proof of guilt need not necessarily be at the same level as necessary in a court of law. Therefore, procedural issues, including the introduction and consideration of evidence, will be handled in a manner consistent with the educational focus. Where the allegations are more serious, leading to serious consequences and the criminal and civil courts are the only options, the University may resort to legal processes including FIR etc. If a student or a group of students are incited by staff, faculty, or other students for a possible violation of civil laws and/or University policies on the campus, they may be subjected to either the disciplinary process of the University and/or appropriate legal processes may be taken. It is noteworthy that in case any FIR is registered against any student by the University then suspension of such student is implied in it. However, in case the FIR is lodged against a student by any person due to his in/off campus behaviour which can significantly impact the University, a formal disciplinary action may be initiated immediately.

Further, in the fitness of things, it is imperative to understand that University as an educational institution is a correctional facility in itself and therefore should refrain from filing FIRs against the students unless no other option is left; and to ensure discipline, it must strengthen and rely upon the proctorial board and disciplinary committee for swift and justifiable actions.

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- इन नियमों को "DSMNRU छात्र अनुशासन और आचरण नियम 2024" कहा जाएगा। यहाँ के बाद "नियम" के रूप में संदर्भित।
- इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।
- परिनियम और अध्यादेश। ये नियम अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. छात्र आचरण और अनुशासन नियम, 2024 का दायरा

विश्वविद्यालय में छात्र अनुशासन प्रणाली की परिकल्पना एक शैक्षिक प्रणाली के लिए की गई है और यह न्यायालय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह आवश्यक नहीं है कि अपराध के साक्ष्य/सबूत का स्तर उसी स्तर पर हो जैसा कि न्यायालय में आवश्यक हो। इसलिए, साक्ष्य के परिचय और विचार सहित प्रक्रियात्मक मुद्दों को शैक्षिक फोकस के अनुरूप तरीके से संभाला जाएगा जहां आरोप अधिक गंभीर हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और आपराधिक और सिविल न्यायालय ही एकमात्र विकल्प हैं, विश्वविद्यालय एफआईआर आदि सहित कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा ले सकता है। यदि किसी छात्र या छात्रों के समूह को कर्मचारियों, शिक्षकों या अन्य छात्रों द्वारा परिसर में नागरिक कानूनों और/या विश्वविद्यालय की नीतियों के संभावित उल्लंघन के लिए उकसाया जाता है, तो उन्हें या तो विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अधीन किया जा सकता है और/या उचित कानूनी प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो ऐसे छात्र का निलंबन इसमें निहित है। तथापि, यदि किसी छात्र के परिसर के भीतर/उसके बाहर के व्यवहार के कारण किसी छात्र के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है जिससे विश्वविद्यालय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, तो औपचारिक अनुशासनिक कार्रवाई तत्काल शुरू की जा सकती है।

इसके अलावा, चीजों की फिटनेस में, यह समझना जरूरी है कि एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में विश्वविद्यालय अपने आप में एक सुधारात्मक सुविधा है और इसलिए छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से बचना चाहिए जब तक कि कोई अन्य विकल्प न बचा हो; और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, इसे तेजी से और न्यायसंगत कार्यों के लिए प्रॉक्टरियल बोर्ड और अनुशासनात्मक समिति को मजबूत करना और भरोसा करना चाहिए।

Virendra

3. The Proctorial Board

- There will be a proctorial board consisting of Proctor and other members.
- The members will be appointed by the Vice Chancellor from amongst the teachers of the University, and numbers of such members shall be fixed by the Vice Chancellor from time to time.
- The proctorial board will maintain an environment of student discipline conducive to academic and other pursuits in the University, and will promote coordination within the University system with regard to student discipline.
- The proctorial board will be headed by the Proctor.

4. Disciplinary Committee

- The 'Students' Disciplinary Committee' at the university level will be constituted by the Vice-chancellor which will consist of the following as its members:

S. No.	Title	Designation
1.	Senior Faculty Member to be nominated by the Vice-chancellor	Chairperson
2.	Proctor	Member
3.	Dean Students' Welfare	Member
4.	Dean of Concerned Faculty	Member
5.	Head of Concerned Department	Member
6.	Chief Provost Boys/Girls Hostel as required	Member
7.	Female faculty member nominated by the Vice-chancellor (in case of female students), if any of the above members is not female	Member
8.	Supervisor (in case of Ph.D. students)	Member
9.	SC/ST Faculty Member (in case of SC/ST students)	Member
10.	Divyang Faculty member nominated by Vice-chancellor (in case of divyang students)	Member

3. प्रॉक्टोरियल बोर्ड

- एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड होगा जिसमें प्रॉक्टर और अन्य सदस्य होंगे।
- सदस्यों की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से की जाएगी और ऐसे सदस्यों की संख्या समय-समय पर कुलपति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- प्रॉक्टोरियल बोर्ड विश्वविद्यालय में अकादमिक और अन्य गतिविधियों के लिए अनुकूल छात्र अनुशासन का वातावरण बनाए रखेगा, और छात्र अनुशासन के संबंध में विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर समन्वय को बढ़ावा देगा।
- प्रॉक्टर बोर्ड की अध्यक्षता प्रॉक्टर करेंगे।

4. अनुशासनात्मक समिति

- विश्वविद्यालय स्तर पर 'छात्र अनुशासन समिति' का गठन कुलपति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क्रम. सं.	विषय	पद
1.	वरिष्ठ संकाय सदस्य को कुलपति अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा	अध्यक्ष
2.	प्रॉक्टर	सदस्य
3.	डीन छात्र कल्याण	सदस्य
4.	संबंधित संकाय के डीन	सदस्य
5.	संबंधित विभाग के प्रमुख	सदस्य
6.	चीफ प्रोवोस्ट बॉयज/गर्ल्स हॉस्टल (आवश्यक के रूप में)	सदस्य
7.	कुलपति द्वारा नामित महिला संकाय सदस्य (महिला छात्रों के मामले में), यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी महिला नहीं है	सदस्य
8.	पर्यवेक्षक (पीएचडी छात्रों के मामले में)	सदस्य
9.	एससी/एसटी वर्ग के शिक्षक (एससी/एसटी छात्रों के मामले में)	सदस्य

Virendra

S. No.	Title	Designation
11.	03 Students nominated by Vice-chancellor on the recommendation of DSW (01 each from UG, PG and Ph.D.) ¹	Member
12.	Any other member (to be nominated by the Vice-chancellor, if required)	Member
13.	Deputy Registrar	Secretary

5. Acts of Misconduct and Indiscipline

All students are responsible for conducting themselves in a manner that upholds the rights, dignity, and freedom of each member of the University. A student found responsible for the violation of any clause outlined in this section will be subjected to disciplinary action by the officers, functionaries, bodies or authorities empowered in this regard by the Act, Statutes, Ordinances, Regulations or the Rules made there under. Based on the gravity of misconduct and /or indiscipline, the offences are categorized into two categories i.e. Category-I and Category- II.

Category- I: Minor Acts

- 5.1 Violation of any published DSMNRU policies, rules or regulations. It is the responsibility of the student to be familiar with all DSMNRU policies that refer to appropriate behavior on the campus or off the campus.
- 5.2 Failing to comply with orders or directives of University authorities, DSMNRU officials, University security personnel, or any other law enforcement officers performing their duties.
- 5.3 Furnishing false or misleading information to University and staff, student, or law enforcement officials acting in an official capacity.
- 5.4 Failure to appear or report to any DSMNRU office in conjunction with any disciplinary matter at the time specified or failure to request alternative appointment in such a case.

¹ PG- attendance, merit & conduct; Ph.D.- course work merit

क्रम. सं.	विषय	पद
10.	कुलपति द्वारा नामित दिव्यांग शिक्षक (दिव्यांग छात्रों के मामले में)	सदस्य
11.	03 डीएसडब्ल्यू की सिफारिश पर कुलपति द्वारा नामित छात्र (यूजी, पीजी और पीएचडी प्रत्येक से 01) ²	सदस्य
12.	कोई अन्य सदस्य (कुलपति द्वारा नामित किया जाना, यदि आवश्यक हो)	सदस्य
13.	उप रजिस्ट्रार	सचिव

5. दुराचार और अनुशासनहीनता के कार्य

सभी छात्र खुद को इस तरह से संचालित करने के लिए जिम्मेदार हैं जो अधिकारों को बनाए रखता है। गरिमा, और विश्वविद्यालय के प्रत्येक सदस्य की स्वतंत्रता। इस खंड में उल्लिखित किसी भी खंड के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए छात्र को अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन किया जाएगा। अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों, विनियमों या उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा इस संबंध में सशक्त कार्यकर्ता, निकाय या प्राधिकरण। कदाचार और/या अनुशासनहीनता की गंभीरता के आधार पर, अपराधों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् श्रेणी- I और श्रेणी- II।

श्रेणी - I: लघु कृत्य

- 5.1 किसी भी प्रकाशित DSMNRU नीतियों, नियमों या विनियमों का उल्लंघन। यह छात्र की जिम्मेदारी है कि वह सभी डीएसएमएनआरयू नीतियों से परिचित हो जो परिसर में या परिसर के बाहर उचित व्यवहार का उल्लेख करता है।
- 5.2 विश्वविद्यालय के अधिकारियों, डीएसएमएनआरयू अधिकारियों, विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मियों, या अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले किसी अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों के आदेशों या निर्देशों का पालन करने में विफल।
- 5.3 विश्वविद्यालय और कर्मचारियों, छात्र, या कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आधिकारिक क्षमता में कार्य करने के लिए झूठी या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करना।

² पी जी- उपस्थिति, योग्यता एवं आचरण; पीएचडी- डी- कोर्स वर्क मेरिट

- 5.5 Violation of code of research ethics, including but not limited to, the misuse of DSMNRU computers or computer network or computer peripherals and DSMNRU policies causing threat to academic integrity. Academic integrity encompasses honesty, responsibility and awareness relating to ethical standards for the conduct of research and scholarship or fellowship.
- 5.6 Forgery, alteration, destruction, misuse, and unauthorized possession of official DSMNRU documents, including University name, identification cards or records without authorization. Violations including but are not limited to forgery of applications for financial aid, teacher's signature, admission, course changes or course credit, copying, misuse or alteration of parking permits, alteration or misuse of transcripts, and student identity cards etc.
- 5.7 Use of abusive or derogatory remark/language and slogans or intimidating language or incitement of hatred, violence and cyber-crime or any other act calculated to further the same.
- 5.8 Possession, duplication, or use of keys of any DSMNRU premises without authorization and entry or use of University premises without permission.
- 5.9 Violation and/or sabotage of safety systems, including but not limited to the below listed behaviors as well as any other behavior prohibited by the University rules/regulations.
- Unauthorized use, abuse, or interference with fire protection equipment or other safety equipments which could result in death, injury or substantial damage to university's property.
 - Intentional setting off of false alarms including hoax threats, fire alarms etc.
 - Bomb threats or similar threats involving dangerous explosive devices or substances.
 - Behaviour which leads to significant hazard (fire/water/air etc.)
- 5.4 निर्दिष्ट समय पर किसी भी अनुशासनात्मक मामले के साथ संयोजन के रूप में किसी भी DSMNRU कार्यालय में उपस्थित होने और/या रिपोर्ट करने में विफलता या इस हेतु वैकल्पिक नियुक्ति का अनुरोध करने में विफल रहना।
- 5.5 अनुसंधान नैतिकता के कोड का उल्लंघन, जिसमें डीएसएमएनआरयू कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर बाह्य उपकरणों और डीएसएमएनआरयू नीतियों का दुरुपयोग शामिल है, जिससे अकादमिक अखंडता को खतरा है। अकादमिक अखंडता में अनुसंधान और छात्रवृत्ति या फेलोशिप के संचालन के लिए नैतिक मानकों से संबंधित ईमानदारी, जिम्मेदारी और जागरूकता शामिल है।
- 5.6 जालसाजी, परिवर्तन, विनाश, दुरुपयोग, और आधिकारिक DSMNRU दस्तावेजों के अनधिकृत कब्जे, विश्वविद्यालय का नाम, पहचान पत्र या प्राधिकरण के बिना रिकॉर्ड सहित। उल्लंघन सहित लेकिन वित्तीय सहायता, शिक्षक के हस्ताक्षर, प्रवेश, पाठ्यक्रम परिवर्तन या पाठ्यक्रम क्रेडिट, पार्किंग परमिट की नकल, दुरुपयोग या परिवर्तन, टेप के परिवर्तन या दुरुपयोग, और छात्र पहचान पत्र आदि के लिए आवेदनों की जालसाजी तक सीमित नहीं हैं।
- 5.7 अपमानजनक या अपमानजनक टिप्पणी/भाषा और नारों का उपयोग या डराने वाली भाषा या घृणा, हिंसा और साइबर अपराध या किसी अन्य कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गणना की गई।
- 5.8 कब्जा, दोहराव, या प्राधिकरण और प्रवेश या अनुमति के बिना विश्वविद्यालय परिसर के उपयोग के बिना किसी भी DSMNRU परिसर की चाबियों का उपयोग।
- 5.9 सुरक्षा प्रणालियों का उल्लंघन और/या तोड़फोड़, जिसमें नीचे सूचीबद्ध व्यवहारों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के नियमों/विनियमों द्वारा निषिद्ध कोई अन्य व्यवहार शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- अनधिकृत उपयोग, दुरुपयोग, या अग्नि सुरक्षा उपकरण या अन्य सुरक्षा उपकरणों के साथ हस्तक्षेप जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की संपत्ति की मृत्यु, चोट या पर्याप्त क्षति हो सकती है।
 - झूठे अलार्म को जानबूझकर बंद करना जिसमें फर्जी धमकी, फायर अलार्म आदि शामिल हैं।
 - बम की धमकी या इसी तरह के खतरे खतरनाक विस्फोटक उपकरणों या वस्तुओं से जुड़े होते हैं।

Pawson

Aurif

Visendran

De

X m m m m

Z

Bach

X

X

X

X

X

- 5.10 Conducts that endanger the health or safety of members of the DSMNRU community or other persons.
- 5.11 Violation of Government rules/guidelines pertaining to traffic rules in the campus, inclusive of two, three and four wheelers, that jeopardizes orderly traffic and safe journey on the road.
- 5.12 Disturbing others in DSMNRU by using non-permissible level of noise
- 5.13 Causing disruption or disturbances in any manner in teaching or other academic work, admission and examination process, the office, the library, laboratories, canteen, facilities or amenities, the auditorium or the play ground etc.
- 5.14 Unable to produce the identity card issued by the University/department/hostel, or refusing to produce it on demand by University authorities, security personnel or any other law enforcement officer of University.
- 5.15 Discrimination against any member of the DSMNRU community, or a visitor, through biased prejudiced behaviors related to the person's race, color, nationality, sex, religion, disability, age or sexual orientation.
- 5.16 Failing to discourage/prevent illegal activity or violation of the Code and Conduct of Students by active/passive participation during the activity.
- 5.17 Physical abuse, including but not limited to, inflicting or threatening bodily harm upon any person, or acting in a manner which creates a risk of bodily harm to any person.
- 5.18 Gambling for money or other items of value on DSMNRU premises, including but not limited to, playing cards or other games of chance or skill for money or other items of value.
- 5.19 Interfering with the rights or safety of one's roommates and/or other students or creating a hostile environment within the hostels.

d. ऐसा व्यवहार जो महत्वपूर्ण खतरे का कारण बनता है (आग/पानी/वायु आदि)

- 5.10 ऐसे आचरण जो डीएसएमएनआरयू समुदाय के सदस्यों या अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।
- 5.11 परिसर में यातायात नियमों से संबंधित सरकारी नियमों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन, जिसमें दो, तीन और चार पहिया वाहन शामिल हैं, जो सड़क पर व्यवस्थित यातायात और सुरक्षित यात्रा को खतरे में डालता है।
- 5.12 डीएसएमएनआरयू में गैर-अनुमत्य स्तर के शोर का उपयोग करके दूसरों को परेशान करना
- 5.13 शिक्षण या अन्य शैक्षणिक कार्य, प्रवेश और परीक्षा प्रक्रिया, कार्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कैंटीन, सुविधाएं या सुख-सुविधाएं, सभागार या खेल का मैदान आदि में किसी भी तरह से व्यवधान या गड़बड़ी पैदा करना।
- 5.14 विश्वविद्यालय/विभाग/ छात्रावास द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होना, या विश्वविद्यालय प्राधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों या विश्वविद्यालय के किसी अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करने से इनकार करना।
- 5.15 व्यक्ति की जाति, रंग, राष्ट्रीयता, लिंग, धर्म, विकलांगता, उम्र या यौन अभिविन्यास से संबंधित पक्षपातपूर्ण व्यवहार के माध्यम से डीएसएमएनआरयू समुदाय के किसी भी सदस्य या आगंतुक के खिलाफ भेदभाव।
- 5.16 गतिविधि के दौरान सक्रिय/निष्क्रिय भागीदारी द्वारा छात्रों की अवैध गतिविधि या आचार संहिता के उल्लंघन को हतोत्साहित/रोकने में विफल होना।
- 5.17 शारीरिक शोषण, जिसमें किसी भी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाना या धमकी देना, या ऐसे तरीके से कार्य करना शामिल है, जो किसी भी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का जोखिम पैदा करता है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है।
- 5.18 डीएसएमएनआरयू परिसर में पैसे या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के लिए जुआ, जिसमें पैसे के लिए ताश या मौका या कौशल के अन्य खेल या मूल्यवान अन्य वस्तुएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- 5.19 किसी के रूममेट्स और/या अन्य छात्रों के अधिकारों या सुरक्षा में हस्तक्षेप करना या हॉस्टल के भीतर शत्रुतापूर्ण माहौल बनाना।

Pawon

Anuj

Virendra

Rach

Sanyu - J

Dish

Sind

K. S. S.

- 5.20 Alterations, additions, and/or unauthorized use of furnishings and fixtures within University premises. Display any kind of notice or poster on white black boards or on notice boards without the written permission of the concerned authority,
- 5.21 Playing of sports or activities that present a risk of injury to other persons or properties within hostels.
- 5.22 The host and guest will be jointly liable for any loss caused to university or to any person of the university, in any form whatsoever.
- 5.23 Any other act & rules, which may be considered by the competent authority as an act of violation of discipline and conduct.
- 5.24 Any attempt or abetment to commit or to cause commitment of any of the acts listed in Category I will be deemed as committing the act itself.

Category – II: Major Acts

- 5.25 All acts of violence and all forms of coercion such as gheraos, sit-ins, hunger strike or any variation of the same, blocking entrance and exit of any of the academic and for administrative complexes including the main gate of the university that disrupt the normal academic and administrative functioning of the university and/or any act which incites or leads to violence and damage to university property.
- 5.26 Gheraos, laying siege or staging demonstrations around the residence of any member of the university or any other form of coercion, intimidation or disturbance of right to privacy of the University fraternity.
- 5.27 University does not recognize any students' organization except 'Students' Council' created by the university. Use of banners, flags, posters etc. inside the campus using the name of University, faculty members, officials and staff is strictly prohibited. Further, if the student organization (s) does not use its name or any identity on the banners, flags and posters and writes the name of any

- 5.20 विश्वविद्यालय परिसर के भीतर साज-सामान और फिक्स्चर में परिवर्तन, परिवर्धन और/या अनधिकृत उपयोग। संबंधित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का नोटिस या पोस्टर सफेद काले बोर्ड या नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें।
- 5.21 ऐसे खेल या गतिविधियाँ खेलना जिनसे छात्रावासों के भीतर अन्य व्यक्तियों या संपत्तियों को चोट लगने का खतरा हो।
- 5.22 मेजबान और अतिथि विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में हुए किसी भी नुकसान के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 5.23 कोई अन्य कार्य एवं नियम, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासन एवं आचरण का उल्लंघन माना जा सकता है।
- 5.24 श्रेणी I में सूचीबद्ध किसी भी कार्य को करने या करने के किसी भी प्रयास या उकसावे को स्वयं कार्य करना माना जाएगा।

श्रेणी - II: दीर्घ कृत्य

- 5.25 हिंसा के सभी कार्य और सभी प्रकार की जबरदस्ती जैसे कि घेराव, धरना, भूख हड़ताल या उसी का कोई रूप, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार सहित किसी भी शैक्षणिक और प्रशासनिक परिसर के प्रवेश और निकास को अवरुद्ध करना जो बाधित करता है विश्वविद्यालय के सामान्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज और या किसी भी सेवा से जो हिंसा भड़काती है या विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है।
- 5.26 विश्वविद्यालय के किसी भी सदस्य के आवास के आसपास घेरा डालना या प्रदर्शन करना या विश्वविद्यालय बिरादरी के निजता के अधिकार में किसी अन्य प्रकार की जबरदस्ती, धमकी या व्यवधान
- 5.27 विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई छात्र परिषद को छोड़कर किसी भी छात्र संगठन को मान्यता नहीं देता है। परिसर के अंदर बैनर, झंडे, पोस्टर आदि का उपयोग, विश्वविद्यालय, संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम का उपयोग करना सख्त वर्जित है। इसके अलावा, यदि छात्र संगठन बैनर, झंडों और पोस्टरों पर अपना नाम या किसी पहचान का उपयोग नहीं करता है और किसी का नाम लिखता है

Pawon

Anuj

Virendra

Raj

Rishi

Rishi

Rishi

Rishi

Rishi

Rishi

Rishi

Rishi

faculty member, officials and staff of DSMNRU, then the concerned faculty member, officials and staff will be required to give information regarding his or her consent if desired by the competent authority.

5.28 Students must take prior written permission of the Proctor at least one week in advance for organizing any program in the campus. They are required to give in writing the outline of the program along with their all personal details having mobile number. The application must be forwarded through concerned Coordinator/ Head/Dean/ Director.

5.29 Sexual harassment of any kind which shall also include:

1. Unwelcome sexual proposition advancements, sexually offensive pictorial comments, unwelcome touching, patting pinching or leering of parts of the body or persistent offensive or unwelcome sexual jokes or comments.

2. Offensive or derogatory comments or conducts reflecting gender-bias which create intimidating environment and which represent substantial violations of the rights or opportunities of the victim(s). Such conducts include but are not limited to:

- a) Conducts that violate the University's policies prohibiting sexual harassment, such as unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other unwelcome verbal or written communications of a sexual nature
- b) The use of phone, email or any other method designed to transmit messages or materials of an explicit sexual nature that are unwanted by the recipient.
- c) Making a video/audio recording, without permission taking photographs and using photographs from social media, or streaming audio video which is detrimental to the image of

डीएसएमएनआरयू के संकाय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी यदि सक्षम प्राधिकारी चाहें तो संबंधित संकाय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी को अपनी सहमति के संबंध में जानकारी देनी होगी।

5.28 छात्रों को परिसर में कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम से कम एक सप्ताह पहले प्रॉक्टर की लिखित अनुमति लेनी होगी। उन्हें अपने सभी व्यक्तिगत विवरण और मोबाइल नंबर के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा लिखित में देनी होगी। आवेदन संबंधित समन्वयक/प्रमुख/डीन/निदेशक के माध्यम से अग्रपिछित किया जाना चाहिए।

5.29 किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न जिसमें यह भी शामिल होगा:

1. अवांछित यौन प्रस्ताव प्रगति, यौन आपत्तिजनक सचित्र टिप्पणियाँ। अवांछित स्पर्श, थपथपाना, चुटकी काटना या शरीर के कुछ हिस्सों को छेड़ना या लगातार आपत्तिजनक या अवांछित यौन चुटकुले या टिप्पणियाँ।

2. लिंग-पूर्वाग्रह को दर्शाने वाली आपत्तिजनक या अपमानजनक टिप्पणियाँ या आचरण जो डराने वाला वातावरण बनाते हैं और जो पीड़ितों के अधिकारों या अवसरों के बड़े उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे आचरणों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- a) ऐसे आचरण जो यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित करने वाली विश्वविद्यालय की नीतियों का उल्लंघन करते हैं, जैसे अवांछित यौन प्रगति, यौन संबंधों के लिए अनुरोध, और यौन प्रकृति के अन्य अवांछित मौखिक या लिखित संचार
- b) स्पष्ट यौन प्रकृति के संदेशों या सामग्रियों को प्रसारित करने के लिए डिजाइन किए गए फोन, ईमेल या किसी अन्य विधि का उपयोग जो प्राप्तकर्ता द्वारा अवांछित है।
- c) वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, बिना अनुमति के तस्वीरें लेना और सोशल मीडिया से तस्वीरों का उपयोग करना, या ऑडियो वीडियो स्ट्रीम करना जो

Pawon

Anuf

Visendra

Visendra

Faculty and officials of the University.

d) Any act of moral turpitude.

- 5.30 Use, possession, sale, manufacture, or intent to manufacture of liquor/narcotics or other prohibited items such as controlled substance, drug paraphernalia, including but not limited to, any actions or activities deemed prohibited by the University authority/Government of India.
- 5.31 Possession or use of any dangerous prohibited weapons/chemicals without proper authorization of competent DSMNRU official.
- 5.32 Possession or use of any explosive device or material, including but not limited to, fire crackers, cherry bombs, bottle rockets, and dynamite without proper authorization of authorized DSMNRU official.
- 5.33 Ragging in any form is strictly prohibited in the DSMNRU campus. Anyone indulging in ragging is liable to disciplinary action in accordance with UGC Regulations in this regard as amended from time to time.
- 5.34 Students are expected not to interact or speak on behalf of the University with any media representatives or invite media persons to the campus without the prior permission of the University authorities.
- 5.35 Sending emails to tarnish the image of faculty members, staff, officials and authorities of the University in own name, anonymous or pseudonymous or indulging in any cyber-crime.
- 5.36 Posting of derogatory comments on the social media or indulging in any such related activities having ramifications on the reputation of university, its faculty members and officials.
- 5.37 Damage, defacement, or destruction of university property or property of the members of university fraternity.

विश्वविद्यालय के संकाय और अधिकारी छवि के लिए हानिकारक है।

d) नैतिक अधमता का कोई भी कार्य।

- 5.30 शराब/नशीले पदार्थों या अन्य निषिद्ध वस्तुओं जैसे नियंत्रित पदार्थ, नशीली दवाओं के सामान का उपयोग, कब्जा, बिक्री, निर्माण, या निर्माण करने का इरादा, जिसमें विश्वविद्यालय प्राधिकरण/भारत सरकार द्वारा निषिद्ध समझी जाने वाली कोई भी कार्रवाई या गतिविधियां शामिल हैं, लेकिन इन्हें तक सीमित नहीं हैं।
- 5.31 सक्षम डीएसएमएनआरयू अधिकारी की उचित अनुमति के बिना किसी भी खतरनाक प्रतिबंधित हथियार/रसायन का कब्जा या उपयोग।
- 5.32 अधिकृत डीएसएमएनआरयू अधिकारी की उचित अनुमति के बिना किसी भी विस्फोटक उपकरण या सामग्री का कब्जा या उपयोग, जिसमें पटाखे, चेरी बम, बोटल रॉकेट और डायनामाइट शामिल हैं, लेकिन इन्हें तक सीमित नहीं हैं।
- 5.33 डीएसएमएनआरयू परिसर में किसी भी रूप में रैगिंग सख्त वर्जित है। रैगिंग में लिप्त कोई भी व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर संशोधित यूजीसी नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।
- 5.34 छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी मीडिया प्रतिनिधि के साथ विश्वविद्यालय की ओर से बातचीत या बातचीत न करें या मीडियाकर्मियों को परिसर में आमंत्रित न करें।
- 5.35 अपने नाम, गुमनाम या छद्म नाम से विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, अधिकारियों और अधिकारियों की छवि खराब करने के लिए ईमेल भेजना या किसी साइबर अपराध में शामिल होना।
- 5.36 सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियाँ पोस्ट करना या ऐसी किसी भी संबंधित गतिविधियों में शामिल होना जिसका विश्वविद्यालय, उसके संकाय सदस्यों और अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता हो।
- 5.37 विश्वविद्यालय की संपत्ति या विश्वविद्यालय विरादरी के सदस्यों की संपत्ति को नुकसान, विरूपित करना या नष्ट करना।

Pawan

Anuj

Virendra

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like Anuj, Pawan, Virendra, and others, along with various scribbles and initials.

- 5.38 Attempted or actual theft or possession of university property or that of the University fraternity.
- 5.39 Repetition of acts of indiscipline under Category-1 in spite of repeated warnings and penalties imposed.
- 5.40 Any violation of any sort pertinent to the Bhartiya Nyaya Sanhita-2023 leading to FIR by the University.

6. Modalities of Investigation

The procedure of investigation will be as follows:

- 6.1. An incident of indiscipline may be reported either by an affected individual or by an observer. When information regarding alleged violation of any rule or regulation by the student is reported to any disciplinary authority (Provost /Dean of Faculty/ Head of Department/DSW/Proctor), he/she shall investigate the same within his/her domain and shall have the authority to reprimand, impose fine or take any other suitable measure depending on the gravity of indiscipline under their disciplinary jurisdiction.
- 6.2. The charged students will be informed of the allegation of misconduct/indiscipline made against him or her and will be given opportunity to submit his/her defense in verbal/writing.
- 6.3. It shall be the responsibility of the alleged student(s) and complainant to arrange for their respective witnesses to give oral evidence or to submit any written statement(s) material evidence in their defense.
- 6.4. The Proctor with the help of Proctorial board shall enquire, collect relevant facts about the incident of indiscipline of the students, evaluate the evidences and impose punishment to erring student(s).
- 6.5. Proctorial board ascertains that the offence pertains to the jurisdiction of Disciplinary committee then it will forward the recommendation of punishment to be imposed on the guilty student to the Disciplinary Committee through the Proctor.
- 6.6. The Proctor is vested with the power to summon the student(s) in verbal/phone/writing to appear at a specified date, time, and place in connection with an alleged violation.

- 5.38 विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय बिरादरी की संपत्ति पर वास्तविक चोरी या कब्ज़ा का प्रयास।
- 5.39 बार-बार दी गई चेतावनियों और जुर्माने के बावजूद श्रेणी-1 के अंतर्गत अनुशासनहीनता के कृत्यों की पुनरावृत्ति।
- 5.40 भारतीय न्याय संहिता-2023 से संबंधित किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर विश्वविद्यालय द्वारा एफआईआर की जाएगी।

6. जांच के तौर-तरीके

जांच की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

- 6.1. अनुशासनहीनता की घटना की रिपोर्ट किसी प्रभावित व्यक्ति या पर्यवेक्षक द्वारा की जा सकती है। जब छात्र द्वारा किसी नियम या विनियमन के कथित उल्लंघन के बारे में जानकारी किसी अनुशासनात्मक प्राधिकारी (प्रोवोस्ट/अधिष्ठाता/विभाग के प्रमुख/ डीएसडब्ल्यू/ प्रॉक्टर) को दी जाती है, तो वह अपने डोमेन के भीतर इसकी जांच करेगा और उसे फटकार लगाने का अधिकार होगा। अपने अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र के तहत अनुशासनहीनता की गंभीरता के आधार पर जुर्माना लगाएँ या कोई अन्य उपयुक्त उपाय करें।
- 6.2. आरोपित छात्रों को उनके खिलाफ लगाए गए कदाचार/अनुशासनहीनता के आरोप के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें मौखिक/लिखित रूप से अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
- 6.3. यह कथित छात्र(छात्रों) और शिकायतकर्ता की ज़िम्मेदारी होगी कि वे अपने संबंधित गवाहों के लिए मौखिक साक्ष्य देने या अपने बचाव में कोई लिखित बयान या सामग्री साक्ष्य प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें।
- 6.4. प्रॉक्टर, प्रॉक्टरियल बोर्ड की मदद से छात्रों की अनुशासनहीनता की घटना के बारे में पूछताछ करेगा, प्रासंगिक तथ्य एकत्र करेगा, साक्ष्यों का मूल्यांकन करेगा और गलती करने वाले छात्र(छात्रों) को दंडित करेगा।
- 6.5. प्रॉक्टरियल बोर्ड यह सुनिश्चित कर लेता है कि अपराध अनुशासन समिति के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, तो वह दोषी छात्र को दंडित करने की सिफारिश प्रॉक्टर के माध्यम से अनुशासन समिति को भेज देगा।
- 6.6. प्रॉक्टर को किसी कथित उल्लंघन के संबंध में छात्रों को मौखिक/फोन/लिखित रूप से एक निर्दिष्ट तिथि,

Person

Aug

Virendra

- 6.7. The students who fail without a genuine cause, to comply with summons or letter of notice issued by the Proctor or the Chairman of Disciplinary committee, may be charged with a violation of these Rules and may be recommended for suitable disciplinary action.
- 6.8. If a complaint against misconduct or indiscipline has not been filed, but information on such occurrence has come, or has been brought to the notice of the Proctor or the functionary responsible for the maintenance of the discipline of students, such authority may suo motu take cognizance of such information as may be relevant, and proceed in the same manner as if such complaint has been filed.
- 6.9. Ordinarily the above-mentioned procedures shall be followed. However, in severe cases of indiscipline/misconduct where the offending action has taken place in the presence of Proctor or any disciplinary authority therein Proctor/disciplinary authority may convene an emergency meeting and call those concerned to depose before it on urgent basis and give its findings and suggested actions. In case the parties refuse to depose, the Proctor/disciplinary authority is authorized to proceed ex-parte and record its clear findings and suggested actions along with the record of the matter and submit it to the Competent Authority.
- 6.10. In all cases of disciplinary action, where the disciplinary authority is of the opinion that a higher punishment than he/she has power to impose is required, he/she shall refer the case to the Proctorial board/Disciplinary committee for suitable action.
- 6.11. Proctor shall have power to impose fine up to Rs. 20,000 for any offence with the approval of Vice-Chancellor.
- 6.12. If the Proctor is of the opinion that a prima facie case exists against a student, he may place order of interim suspension of the student with the approval of the Vice chancellor during pendency of enquiry.

समय और स्थान पर उपस्थित होने के लिए बुलाने की शक्ति प्राप्त है।

- 6.7. जो छात्र प्रॉक्टर या अनुशासन समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए सम्मन या नोटिस पत्र का पालन करने में किसी वास्तविक कारण के बिना असफल होते हैं, उन पर इन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है और उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश की जा सकती है।
- 6.8. यदि कदाचार या अनुशासनहीनता के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन ऐसी घटना की जानकारी आ गई है, या प्रॉक्टर या छात्रों के अनुशासन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी के ध्यान में लाया गया है, तो ऐसा प्राधिकारी स्वतः संज्ञान ले सकता है। ऐसी जानकारी जो प्रासंगिक हो, और उसी तरीके से आगे बढ़ें जैसे कि ऐसी शिकायत दर्ज की गई हो।
- 6.9. आमतौर पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। हालाँकि, अनुशासनहीनता/कदाचार के गंभीर मामलों में जहाँ अपमानजनक कार्रवाई प्रॉक्टर या उसके किसी अनुशासनात्मक प्राधिकारी की उपस्थिति में हुई है, प्रॉक्टर/अनुशासनात्मक प्राधिकारी एक आपातकालीन बैठक बुला सकते हैं और संबंधित लोगों को तत्काल आधार पर अपने सामने पेश होने के लिए बुला सकते हैं और अपने निष्कर्ष दे सकते हैं। और कार्रवाई का सुझाव दिया। यदि पक्ष गवाही देने से इनकार करते हैं, तो प्रॉक्टर/अनुशासनात्मक प्राधिकारी को एकपक्षीय कार्रवाई करने और मामले के रिकॉर्ड के साथ अपने स्पष्ट निष्कर्षों और सुझाई गई कार्रवाइयों को रिकॉर्ड करने और सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- 6.10. अनुशासनात्मक कार्रवाई के सभी मामलों में, जहाँ अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय है कि उसके पास लगाने की शक्ति से अधिक सजा की आवश्यकता है, वह उचित कार्रवाई के लिए मामले को प्रॉक्टोरियल बोर्ड/अनुशासन समिति को संदर्भित करेगा।
- 6.11. प्रॉक्टर के पास कुलपति की मंजूरी से किसी भी अपराध के लिए 20,000 रुपये तक जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।
- 6.12. यदि प्रॉक्टर की राय है कि किसी छात्र के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वह जांच लंबित रहने के दौरान कुलपति के अनुमोदन से छात्र के अंतरिम निलंबन का आदेश दे सकता है।

Power

Amj

Virendra

- 6.13. Commensurate with the gravity of the indiscipline. Disciplinary committee may award appropriate punishments like fine, suspension, expulsion or rustication etc from the University.
- 6.14. The Disciplinary committee is vested with the power to dispose of any alleged violation committed by the student(s) if the same is found to be baseless.
- 6.15. No punishment shall ordinarily be imposed on a student unless he/she is found guilty of the offence for which he she has been charged by Proctor or any other inquiry after following the due procedure and providing due opportunity to the student charged for the offence to defend himself or herself in front of the Proctorial board /Disciplinary committee/any other enquiry.
- 6.16. All punishments imposed to students by the Proctorial board/Disciplinary committee shall be recorded in a register to be maintained by the Proctor office. The register shall be a permanent record of the University
- 6.17. The Proctor will issue all orders of Proctorial board relating to disciplinary proceedings against students.
- 6.18. The Proctor in his/her official capacity, will lodge FIR against any student(s) if the situation so demands on behalf of the University with an approval of Vice-Chancellor.
- 6.19. The decision of Disciplinary committee may be communicated by the Registrar office.
- 6.20. In case the Vice-Chancellor is satisfied that on the basis of the available material and evidence on record a prima facie case exists against a student, he may order interim suspension of the student including withdrawal of any or all facilities available to a bonafide student during pendency of enquiry.
- 6.21. No penalty/punishment on any student shall be awarded without the approval of the Vice-Chancellor.
- 6.22. All decisions by the 'Students' Disciplinary Committee' will be taken by majority opinion in its meeting where more than 50% of the members participate and where the number of total participants is an odd number.

- 6.13. अनुशासनहीनता की गंभीरता के अनुरूप. अनुशासनात्मक समिति विश्वविद्यालय से जुर्माना, निलंबन, निष्कासन या निष्कासन आदि जैसे उचित दंड दे सकती है।
- 6.14. अनुशासनात्मक समिति को छात्र द्वारा किए गए किसी भी कथित उल्लंघन का निपटान करने की शक्ति प्राप्त है, यदि वह निराधार पाया जाता है।
- 6.15. आम तौर पर किसी छात्र को तब तक कोई सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि उसे उस अपराध का दोषी नहीं पाया जाता जिसके लिए उस पर प्रॉक्टर द्वारा आरोप लगाया गया है या किसी अन्य जांच के बाद न तो प्रक्रिया का पालन किया जाता है और न ही अपराध के लिए आरोपित छात्र को खुद प्रॉक्टोरियल बोर्ड/ अनुशासन समिति/कोई अन्य जांच समिति के सामने बचाव का उचित अवसर प्रदान किया जाता है। ।
- 6.16. प्रॉक्टोरियल बोर्ड/अनुशासन समिति द्वारा छात्रों को दिए गए सभी दंड प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा बनाए जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। रजिस्टर विश्वविद्यालय का एक स्थायी रिकॉर्ड होगा।
- 6.17. प्रॉक्टर छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सभी आदेश जारी करेगा।
- 6.18. यदि स्थिति ऐसी मांग करती है तो कुलपति की मंजूरी के साथ विश्वविद्यालय की ओर से प्रॉक्टर अपनी आधिकारिक क्षमता में किसी भी छात्र(छात्रों) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा।
- 6.19. अनुशासन समिति के निर्णय को रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा सूचित किया जा सकता है।
- 6.20. यदि कुलपति इस बात से संतुष्ट है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य के आधार पर किसी छात्र के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वह जांच के लंबित होने के समय में अंतरिम निलंबन का आदेश दे सकता है, जिसमें वास्तविक छात्र को उपलब्ध किसी भी या सभी सुविधाओं को वापस लेना भी शामिल है।
- 6.21. कुलपति की अनुमति के बिना किसी भी छात्र को कोई दंड नहीं दिया जाएगा।
- 6.22. 'छात्र अनुशासन समिति' द्वारा सभी निर्णय अपनी बैठक में बहुमत की राय से लिए जाएंगे जहां 50% से अधिक सदस्य भाग लेते हैं और जहां कुल प्रतिभागियों की संख्या एक विषम संख्या है।

Pawon

Aug

Virendra

Dr

Dr. Singh

Dr

Dr

Dr. Proctor

Dr. Singh

Dr. Singh

Dr. Singh

Dr. Singh

8. Disciplinary Action/Punishment

The competent authority may impose one or more of the following punishments on any student found guilty of any of the acts of indiscipline or misconducts defined in Category-I or Category-II on the recommendation the Proctorial board/Disciplinary committee.

(a) Category-I

- Warning, Reprimand and information to the parents/guardian.
- Fine up to Rs. 5,000-depending upon the nature and magnitude of violation.
- Suspension for two weeks.
- Declaring hostels, premises, building or the entire DSMNRU campus out of bounds to any student up to three weeks.
- Recovery of any kind such as any dues, cost of damages etc.

(b) Category-II

- Suspension for more than two weeks.
- Fine more than Rs. 10,000-depending upon the nature and magnitude of violation.
- Declaring any part or the entire DSMNRU campus out of bounds for more than 03 weeks.
- Cancellation of admission or withdrawal of degree or denial of registration for a specified period.
- Denial of any or all academic processes.
- Withdrawal of any or all facilities extended to a student as per DSMNRU Rules (such as Scholarship Fellowship, hostel etc).
- Character certificate with remarks of indiscipline
- Expulsion.
- Rustication for the specified period.

8. अनुशासनात्मक कार्रवाई/दंड

सक्षम प्राधिकारी प्रॉक्टरियल बोर्ड/अनुशासन समिति की सिफारिश पर श्रेणी-I या श्रेणी-II में परिभाषित किसी भी अनुशासनहीनता या कदाचार के दोषी पाए गए किसी भी छात्र पर निम्नलिखित में से एक या अधिक दंड लगा सकता है।

(ए) श्रेणी-I

- माता-पिता/अभिभावक को चेतावनी, फटकार एवं सूचना।
- 10,000 रुपये तक का जुर्माना जो उल्लंघन की प्रकृति और परिमाण पर निर्भर करता है।
- दो सप्ताहों के लिए निलंबन
- छात्रावास, परिसर, भवन या संपूर्ण डीएसएमएनआरयू परिसर को तीन सप्ताहों तक किसी भी छात्र के लिए सीमा से बाहर घोषित करना।
- किसी भी प्रकार की वसूली जैसे कोई बकाया, क्षति की लागत आदि।

(बी) श्रेणी- II

- दो सप्ताह से अधिक के लिए निलंबन
- 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माना जो उल्लंघन की प्रकृति और परिमाण पर निर्भर करता है।
- किसी भी हिस्से या पूरे DSMNRU परिसर को 03 सप्ताह से अधिक समय तक सीमा से बाहर घोषित करना।
- एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रवेश रद्द करना या डिग्री वापस लेना या पंजीकरण से इनकार करना
- किसी या सभी शैक्षणिक प्रक्रियाओं से इनकार।
- डीएसएमएनआरयू नियमों (जैसे छात्रवृत्ति फेलोशिप, छात्रावास आदि) के अनुसार किसी छात्र को दी गई किसी भी या सभी सुविधाओं को वापस लेना।
- अनुशासनहीनता की टिप्पणी के साथ चरित्र प्रमाण पत्र
- निष्कासन.
- निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासन.

Pawson

Anuj

Vrindran

9. Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor relating to proper maintenance of discipline and disciplinary action in relation to the student, the Proctor and Proctorial board shall deal with or decide upon the cases of misconduct and or indiscipline of category-I and category-II and shall have power to impose any of the punishments of category-I to any student (s) found guilty of any of the acts of indiscipline. For cases involving serious breach of discipline of Category-I and II, the Disciplinary committee shall have power to impose any of the punishments as provided in Category-II on any student (s) found guilty.

10. Not with standing any punishment mentioned in these rules, the Disciplinary committee/Vice Chancellor may, keeping in view the gravity nature of misconduct/act of indiscipline, the manner and the circumstances in which the misconduct/indiscipline has been committed, award a punishment in excess of or less than or other than what has been mentioned thereon for reasons to be recorded after approval of Vice-chancellor.

11. Nothing in these rules shall be deemed to affect the plenary powers vested in the Vice-Chancellor under University Act relating to maintenance of discipline and disciplinary action in relation to students.

12. Interpretation and Appeal

Interpretations of provisions within the Code of Conduct for Students may be solicited from the Proctor in ease of any doubt. However, in case any dispute arises with regard to the explanation of any of these Rules and/or if the aggrieved wants to prefer an appeal against the decision(s) of Proctorial board or Disciplinary committee, the matter shall be referred to the Vice-Chancellor for adjudication whose decision thereon shall be final.

Explanation:

Suspension

Suspension means debarring a student from any academic (classes, hostel, assignment, research, field trips, functions, seminars, workshops, trainings and exams etc.) or all activities of the University for a specified period.

Rustication

Rustication means removal from the University for the specified time period under intimation to all Universities Institutes in India. Rustication means debarring the student for studying in any University, College or educational Institution. The period of rustication will be counted from the date of issuance of the notice. Rustication, whenever imposed on University students), shall always mean the loss of the

9. छात्र के संबंध में अनुशासन के उचित रखरखाव और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित कुलपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रॉक्टर और प्रॉक्टोरियल बोर्ड श्रेणी -1 और अनुशासनहीनता के कदाचार के मामलों से निपटेंगे या निर्णय लेंगे। श्रेणी-II और अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए दोषी पाए गए किसी भी छात्र(छात्रों) को श्रेणी-I की कोई भी सजा देने की शक्ति होगी। श्रेणी-I और II के अनुशासन के गंभीर उल्लंघन से जुड़े मामलों के लिए। अनुशासनात्मक समिति को दोषी पाए गए किसी भी छात्र(छात्रों) पर श्रेणी- II में दिए गए किसी भी दंड को लागू करने की शक्ति होगी।

10. इन नियमों में उल्लिखित किसी दंड के साथ नहीं, अनुशासनिक समिति/कुलपति, कदाचार/अनुशासनहीनता के कृत्य की गंभीरता की प्रकृति, जिस तरीके और परिस्थितियों में कदाचार/अनुशासनहीनता की गई है, को ध्यान में रखते हुए, कुलपति के अनुमोदन के बाद दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए उस पर उल्लिखित दंड से अधिक या उससे कम या उससे कम या उससे भिन्न दंड दे सकती है।

11. इन नियमों में कुछ भी छात्रों के संबंध में अनुशासन बनाए रखने और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कुलपति में निहित पूर्ण शक्तियों को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

12. व्याख्या और अपील

किसी भी संदेह के समाधान के लिए छात्रों के लिए आचार संहिता के प्रावधानों की व्याख्या प्रॉक्टर से मांगी जा सकती है। हालाँकि, यदि इन नियमों में से किसी की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है और/या यदि पीड़ित प्रॉक्टोरियल बोर्ड या अनुशासनात्मक समिति के निर्णयों के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो मामला उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा। निर्णय के लिए चांसलर जिसका निर्णय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण:

निलंबन

निलंबन का अर्थ है किसी छात्र को किसी भी शैक्षणिक (कक्षाएं, छात्रावास, असाइनमेंट, अनुसंधान, क्षेत्र यात्राएं, समारोह, सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण और परीक्षा आदि) या विश्वविद्यालय की सभी गतिविधियों से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकना।

academic semester so far as his/her examination is concerned in addition to the duration of semester during which order is passed.

Virendra

Signature

Signature

Expulsion

A student found guilty of major or gross misconduct shall be expelled from the University. Expulsion means permanent removal from the University and no re-admission in the University in any program, course or other academic category created and defined from time to time.

13. Savings

In case of any dispute as to interpretation of any provision of these rules (in contrasting comparison of English & Hindi versions), English version will be taken as the final version.

निस्सारण

निष्कासन का अर्थ है भारत के सभी विश्वविद्यालय संस्थानों को सूचित करते हुए निर्दिष्ट समय अवधि के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासन। निष्कासन का अर्थ है छात्र को किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन करने से रोकना। निष्कासन की अवधि की गणना नोटिस जारी होने की तिथि से की जाएगी। निष्कासन, जब भी विश्वविद्यालय के छात्रों पर लगाया जाता है) का मतलब हमेशा अकादमिक सेमेस्टर का नुकसान होगा जहां तक उसकी परीक्षा का संबंध है, सेमेस्टर की अवधि के अलावा जिसके दौरान आदेश पारित किया जाता है।

निष्कासन

बड़े या घोर कदाचार का दोषी पाए जाने वाले छात्र को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। निष्कासन का अर्थ है विश्वविद्यालय से स्थायी निष्कासन और समय-समय पर निर्मित और परिभाषित किसी भी कार्यक्रम, पाठ्यक्रम या अन्य शैक्षणिक श्रेणी में विश्वविद्यालय में दोबारा प्रवेश नहीं।

13. बचत

इन नियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या के रूप में किसी भी विवाद के मामले में (अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों की तुलना में) अंग्रेजी संस्करण को अंतिम संस्करण के रूप में लिया जाएगा।

Pawan

Anuj

Virendra

Prachi

Shash

Virendra